बीज अधिनियम 2026
नकली बीजों के खिलाफ मज़बूत ढाल

नकली और घटिया बीज लंबे समय से भारतीय कृषि के लिए सबसे गंभीर समस्याओं में से एक रहे हैं। किसानों के लिए इसका नुकसान सीधा और बड़ा होता है–अंकुरण कम होना, पौधों की कमज़ोर बढ़वार, उत्पादन घट जाना और अंत में आर्थिक नुकसान। कई बार किसान को यह बात बीज बोने के बाद ही समझ आती है, जब पूरा मौसम शुरू हो चुका होता है और नुकसान की भरपाई संभव नहीं रहती।

इसी समस्या की गंभीरता को समझते हुए भारत सरकार ने बीज अधिनियम 2026 लागू किया है। यह एक बड़ा सुधार है, जिसका उद्देश्य देश की बीज व्यवस्था को आधुनिक बनाना, बीज आपूर्ति शृंखला में पारदर्शिता लाना और किसानों को धोखाधड़ी से बचाना है। सबसे अहम बात यह है कि यह कानून नकली और घटिया बीजों की समस्या को खत्म करने के लिए बनाया गया है, ताकि बाज़ार में बिकने वाला हर व्यावसायिक बीज नियंत्रित, जाँचा हुआ और जवाबदेह व्यवस्था के तहत हो।

नया बीज कानून : जरुरत और कारण

भारत में बीजों से जुड़ा पुराना प्रमुख कानून बीज अधिनियम 1966 था। यह कानून अपने समय में उपयोगी था, लेकिन इसे उस दौर के अनुसार बनाया गया था जब कृषि व्यवस्था और बीज बाज़ार काफ़ी अलग था। 1960 के दशक में बीज बाज़ार मुख्यतः सरकारी संस्थाओं के नियंत्रण में था, बीज की किस्में सीमित थीं और वितरण व्यवस्था भी सरल थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। अब बीज क्षेत्र में निजी कंपनियों की भूमिका बढ़ चुकी है, बीच में कई स्तर के विक्रेता जुड़ गए हैं और आपूर्ति शृंखला काफ़ी जटिल हो गई है।

बाज़ार के विस्तार के साथ कई कमज़ोरियाँ भी सामने आईं। बिना पंजीकरण वाले विक्रेताओं और अनौपचारिक चैनलों के जरिए नकली बीज बाज़ार में आने लगे। पुराने कानून में सज़ा और जुर्माने की व्यवस्था भी इतनी मज़बूत नहीं थी कि गलत काम करने वालों पर प्रभावी रोक लग सके। ऐसे माहौल में कुछ लोग फ़ायदा कमाते रहे और किसानों को नुकसान उठाना पड़ा।

कुरुक्षेत्र सम्पादकीय डेस्क

बीज अधिनियम 2026 इसलिए केवल एक कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि यह बीज व्यवस्था में भरोसा फिर से स्थापित करने की कोशिश है।

बीज अधिनियम 2026 में बदलाव

यह नया कानून कई ऐसे सुधार लेकर आया है जो मिलकर किसानों को सुरक्षा देते हैं। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य दो बातों पर केंद्रित है–पहला, नकली बीजों को बाज़ार में आने से रोकना और दूसरा, यदि कहीं गड़बड़ी हो तो तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करना।

QR कोड और पूरी ट्रेसेबिलिटी

बीज अधिनियम 2026 की सबसे बड़ी विशेषता है देशभर में बीजों के लिए ट्रेसेबिलिटी सिस्टम लागू करना। इसके तहत व्यावसायिक रूप से बिकने वाले हर बीज पैकेट पर QR कोड अनिवार्य होगा।

किसान इस QR कोड को स्कैन करके बीज से जुड़ी ज़रूरी जानकारी देख सकेंगे, जैसे बीज का स्रोत, उत्पादन विवरण और अधिकृत विक्रेता की जानकारी। यह किसानों के लिए एक बड़ा फायदा है, क्योंकि वे खरीदने से पहले ही बीज की विश्वसनीयता जाँच सकेंगे और केवल पैकेट के दावों या दुकानदार की बात पर निर्भर नहीं रहेंगे।

सरकारी विभागों के लिए भी यह व्यवस्था बेहद उपयोगी है। यदि किसी बीज की गुणवत्ता खराब पाई जाती है या किसान शिकायत करते हैं, तो अधिकारी आसानी से यह पता लगा सकेंगे कि वह बीज किस जगह से आया और किस चैनल के ज़रिए बाज़ार में पहुँचा। इससे ज़िम्मेदारी तय करना और कार्रवाई करना आसान हो जाएगा।

बीज विक्रेताओं के लिए अनिवार्य पंजीकरण

इस अधिनियम के तहत बीज कंपनियों, डीलरों और व्यावसायिक बीज बेचने वालों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। केवल पंजीकृत और अधिकृत संस्थाओं को ही बीज बेचने की अनुमति होगी। यह कदम नकली बीजों की जड़ पर सीधा वार करता है, क्योंकि नकली बीजों का बड़ा हिस्सा ऐसे ही विक्रेताओं के जरिए आता है जो किसी औपचारिक व्यवस्था में शामिल नहीं होते। जब हर विक्रेता पंजीकृत होगा, तो सरकार के लिए निगरानी आसान होगी और किसानों के लिए भी बाज़ार अधिक सुरक्षित बनेगा।

धोखाधड़ी पर कड़ी सजा

बीज अधिनियम 2026 में सबसे प्रभावी बदलाव यह है कि बीजों से जुड़ी धोखाधड़ी पर सज़ा को काफ़ी सख्त किया गया है। नकली, बिना पंजीकरण वाले या घटिया बीज बेचने वालों पर भारी जुर्माना और जेल की व्यवस्था की गई है। इस कानून के तहत 30 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। गंभीर मामलों में या बार-बार अपराध करने पर 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले कानून में सजा इतनी कम थी कि गलत काम करने वाले डरते नहीं थे। अब बीज धोखाधड़ी को गंभीर अपराध माना जाएगा।

किसानों के पारम्परिक अधिकार सुरक्षित

बीज कानूनों में सबसे बड़ी चिंता यह रहती है कि कहीं किसानों की पारम्परिक बीज संबंधी आज़ादी पर असर न पड़ जाए। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बीज अधिनियम 2026 किसानों के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करता। किसान पहले की तरह बीज बचा सकते हैं, बो सकते हैं, आपस में बाँट सकते हैं और बीजों का आदान-प्रदान कर सकते हैं। यह कानून मुख्य रूप से व्यावसायिक बीज बिक्री को नियंत्रित करता है, न कि किसानों की पारम्परिक कृषि पद्धतियों को।

वैज्ञानिक जाँच और संस्थागत मज़बूती

इस अधिनियम में बीजों की गुणवत्ता जाँच और वैज्ञानिक मूल्यांकन को भी मज़बूत किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र जैसी संस्थाओं की भूमिका को गुणवत्ता नियंत्रण और जागरूकता में अधिक महत्व दिया गया है। साथ ही, आयातित बीजों के मूल्यांकन पर भी ज़ोर दिया गया है, ताकि भारत की जलवायु और खेती की परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त बीज ही बाज़ार में आएँ।

जागरूकता और किसान सशक्तीकरण

कानून लागू करना तभी सफल होता है जब किसान भी जागरूक हों। इसलिए सरकार ने कृषि विज्ञान केंद्रों जैसे संस्थानों के ज़रिए जागरूकता अभियान चलाने पर भी ज़ोर दिया है। इन अभियानों के माध्यम से किसानों को बीज की गुणवत्ता, QR कोड की उपयोगिता और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। जागरूक किसान ही नकली बीजों के खिलाफ सबसे मज़बूत सुरक्षा बन सकते हैं।

एक सुरक्षित और पारदर्शी बीज बाज़ार की ओर

बीज अधिनियम 2026 के सभी सुधार भारत के बीज बाज़ार को पारदर्शी, ट्रेसेबल और जवाबदेह बनाने का प्रयास करते हैं। किसानों के लिए इसका मतलब बेहतर अंकुरण, बेहतर फसल प्रदर्शन और आय में स्थिरता हो सकता है। पूरे कृषि क्षेत्र के लिए यह कानून गुणवत्ता नियंत्रण को मज़बूत करने और बीज बाज़ार में भरोसा लौटाने की दिशा में बड़ा कदम है।

निष्कर्ष

बीज अधिनियम 2026 किसानों को नकली बीजों के खतरे से बचाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। QR आधारित ट्रेसेबिलिटी, अनिवार्य पंजीकरण, कड़ी सजा और वैज्ञानिक संस्थाओं की भागीदारी जैसे उपाय मिलकर यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि किसान को वही गुणवत्ता वाला बीज मिले, जिसके लिए वह भुगतान करता है।

यदि इसे ज़मीनी-स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया गया, तो यह कानून फसल नुकसान को कम करने, उत्पादन बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में भरोसा मज़बूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ❑